(10)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

कमांक / एफ–03–39 / 2014 / 10–2 दिनांक 30 / 10 / 2017

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कैम्पा
सतपुडा भवन भोपाल।

विषयः– राज्य स्तरीय संचालन समिति की 10वीं बैठक का कार्यवाही विवरण बावत।

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 10.10.2017 को स्टेट कैम्पा के राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक का कार्यबाही विवरण मुख्य सचिव महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। साथ ही यह अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारियों को भी अपने स्तर से उपरोक्त कार्यवाही विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

30/10/17
(एस.आई.अजीज)
अवर सचिव
म.प्र. शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

E:\Manish\Letter 2017.docx

मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित, मध्यप्रदेश स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का कार्यवाही विवरण

––0––

दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 10वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर है। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

एजेण्डा क्रमांक–1

प्रस्तावित एजेण्डा

राज्य स्तरीय संचालन समिति की आयोजित 8वीं बैठक दिनांक 03 अक्टूबर 2016 एवं 9वीं बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

निर्णय:– राज्य स्तरीय संचालन समिति की आयोजित 8वीं बैठक दिनांक 03 अक्टूबर 2016 एवं 9वीं बैठक दिनांक 18 नवम्बर 2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–2(A)

प्रस्तावित एजेण्डा

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 8वीं बैठक दिनांक 03.10.16 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन

निर्णय:– राज्य स्तरीय संचालन समिति की 8वीं बैठक दिनांक 03.10.16 में लिये गये निर्णयों पर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के विवरण से समिति अवगत हुई।

एजेण्डा क्रमांक–2 (B)

प्रस्तावित एजेण्डा

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 9वीं बैठक दिनांक 18.11.16 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन

निर्णय:– राज्य स्तरीय संचालन समिति की 9वीं बैठक दिनांक 18.11.16 में लिये गये निर्णयों पर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन के विवरण से समिति अवगत हुई।

तदोपरांत बैठक में रखे गये एजेण्डा पर चर्चा उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये:–

एजेण्डा क्रमांक–3

प्रस्तावित एजेण्डा

एड–हॉक कैम्पा, नई दिल्ली में म.प्र. राज्य की जमा राशि ₹3457.52 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु उपलब्ध होने वाली संभावित राशि ₹345.75 करोड़ (उपरोक्त राशि का 10 प्रतिशत) के आधार पर वर्ष 2017–18 का ए.पी.ओ. अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2017–18 के ए.पी.ओ. में प्रस्तावित कार्यों के विवरण से समिति अवगत हुई।

एजेण्डा क्रमांक–4

प्रस्तावित एजेण्डाः – क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य– रोपण एवं रख–रखाव

वर्ष 2016–17 के वृक्षारोपण रकबा 4026.260 हेक्टर में इस वर्ष किये गये रोपण एवं आगामी 1 वर्ष के रख रखाव के लिये राशि ₹38.20 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये। ये योजनाएं राज्य स्तरीय संचालन समिति की 7वीं बैठक दिनांक 24.06.2016 एवं 8वीं बैठक दिनांक 03.10.2016 में स्वीकृत थी।

निर्णयः– समिति द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्यों के रोपण एवं 01 वर्ष के रख–रखाव की प्रस्तावित राशि ₹38.20 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया ।

<u>एजेण्डा क्रमांक–5</u>

प्रस्तावित एजेण्डाः – एन.पी.व्ही. के अंतर्गत 9,659 हेक्टेयर में रोपण एवं रख–रखाव

एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास म.प्र. से प्राप्त वृक्षारोपण के प्रस्ताव वर्ष 2016–17 अनुसार विभिन्न वन मण्डलों में 9,659 हेक्टे. वृक्षारोपण स्वीकृत किया गया है जिसमें इस वर्ष किए गए रोपण एवं आगामी 1 वर्ष के रख रखाव हेतु राशि ₹46.55 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये। ये योजनाएं राज्य स्तरीय संचालन समिति की 06वीं बैठक दिनांक 07.11.2015 में स्वीकृत थी।

निर्णयः– समिति द्वारा विचारोपरान्त एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत उपरोक्तानुसार विभिन्न वन मण्डलों में 9,659 हेक्टे. में रोपण एवं रख–रखाव के लिये प्रस्तावित राशि ₹46.55 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक–6</u>

प्रस्तावित एजेण्डाः– एन.पी.व्ही. मद अंतर्गत वन विकास निगम के असिंचित सागौन वृक्षारोपण

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम अंतर्गत वर्ष 2016–17 में स्वीकृत असिंचित सागौन वृक्षारोपण 3409.700 हेक्टर में रोपण हेतु वर्ष 2017–18 के लिये राशि ₹21.58 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये। ये योजनाएं राज्य स्तरीय संचालन समिति की 09वीं बैठक दिनांक 18.11.2016 में स्वीकृत थी।

निर्णयः–समिति द्वारा विचारोपरान्त मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम अंतर्गत उपरोक्तानुसार स्वीकृत असिंचित सागौन वृक्षारोपण 3409.700 हेक्टर में रोपण हेतु वर्ष 2017–18 के लिये राशि ₹21.58 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक–7 (i)</u>

प्रस्तावित एजेण्डाः– वर्ष 2017–18 हेतु नवीन कार्य– क्षतिपूर्ति वनीकरण

वर्ष 2017–18 हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण की 44 परियोजनाओं (रकबा 929.77 हेक्ट एवं 21 कि.मी. सड़क किनारे रोपण) हेतु कुल लागत राशि ₹45.99 करोड़, में समाहित (रोपण राशि ₹35.00 करोड, आस्था मूलक 12% राशि ₹3.75 करोड़, मानव संसाधन विकास 3% राशि ₹0.91 करोड, एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 20% राशि ₹6.24 करोड़) प्रथम दो वर्षो की राशि विमुक्ति हेतु योजना रखी गई थी।

इन योजनाओं में प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी हेतु राशि ₹ 12.99 करोड़, आस्थामूलक राशि ₹ 3.75 करोड़, मानव संसाधन विकास के लिये राशि ₹ 0.91 करोड एवं द्वितीय वर्ष रोपण हेतु राशि ₹ 6.91 करोड़, इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु कुल राशि ₹ 24.56 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा उक्त परियाजनाओं में से 03 परियोजनाएं जिनका प्रति हेक्ट व्यय 04 लाख से अधिक था, को छोड़कर शेष 41 परियोजनाएं (रकबा 889.188 हेक्ट एवं 21 कि.मी. सड़क किनारे रोपण) हेतु कुल रोपण की राशि ₹ 32.56 करोड़ तथा शेष तीन मदों में विभाग के निर्णय अनुसार % कम करते हुए आस्था मूलक 05% राशि ₹ 1.43 करोड़, मानव संसाधन विकास 01% राशि ₹ 0.29 करोड, एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 04% राशि ₹ 1.15 करोड इस प्रकार कुल राशि ₹ 35.43 करोड़ मान्य की गई साथ ही इसमें से क्षेत्र तैयारी हेतु प्रथम वर्ष के लिये राशि ₹ 11.85 करोड, आस्था मूलक 05% राशि ₹ 1.43 करोड़, मानव संसाधन विकास 01% राशि ₹ 0.29 करोड, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 04% राशि ₹ 1.15 करोड़ एवं द्वितीय वर्ष रोपण हेतु राशि ₹ 6.38 करोड़ इस प्रकार कुल राशि ₹ 21.10 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

<u>एजेण्डा क्रमांक–7 (ii)</u>

प्रस्तावित एजेण्डाः– वर्ष 2017–18 हेतु नवीन कार्य– क्षतिपूर्ति वनीकरण

वर्ष 2017–18 में 53 क्षतिपूर्ति वनीकरण क्षेत्रफल 1100.082 हेक्ट. में क्षेत्र तैयारी, रोपण एवं रख रखाव की कुल लागत राशि ₹ 62.81 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी हेतु राशि ₹ 25.27 करोड़, द्वितीय वर्ष रोपण हेतु राशि ₹ 7.14 करोड़ कुल राशि ₹ 32.41 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण की जो योजनायें ₹ 4.00 लाख प्रति हेक्टेयर तक की है उनका अनुमोदन किया गया है तदानुसार 22 क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाओं (क्षेत्रफल 612.19 हेक्ट.) की कुल रोपण की राशि ₹ 20.09 करोड़ तथा शेष तीन मदों में विभाग के निर्णय अनुसार % राशि कम करते हुए आस्था मूलक 05% राशि ₹ 1.00 करोड़, मानव संसाधन विकास 01% राशि ₹ 0.20 करोड, एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 04% राशि ₹ 0.80 करोड इस प्रकार कुल राशि ₹ 22.10 करोड़ मान्य की गई साथ ही इसमें से क्षेत्र तैयारी हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि ₹ 8.00 करोड, आस्था मूलक 05% राशि ₹ 1.00 करोड़, मानव संसाधन विकास 01% राशि ₹ 0.20 करोड, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन 04% राशि ₹ 0.80 करोड़ एवं द्वितीय वर्ष रोपण हेतु राशि ₹ 3.47 करोड़ इस प्रकार कुल राशि ₹ 13.47 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि भविष्य में क्षतिपूर्ति वनीकरण की अलग–अलग योजनाओं में मानव संसाधन विकास (HRD) की राशि न ली जाकर विभाग में समेकित मानव संसाधन विकास (HRD) की योजना बनाकर एक साथ प्रशिक्षण कराने की व्यवस्था की जावे।

एजेण्डा क्रमांक–8

प्रस्तावित एजेण्डाः– कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि

दिनांक 02.07.2017 को 6 करोड़ पौधा रोपण के क्रियान्वयन हेतु पौधों के परिवहन के लिये राशि ₹ 3.52 करोड़ की अनुमति म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/ डी.–1724/1998/2017/10–2 दिनांक 14 जुलाई 2017 से दी गई है। उक्त के प्रस्ताव समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– दिनांक 02.07.2017 को 6 करोड़ पौधा रोपण के क्रियान्वयन हेतु पौधों के परिवहन के लिये राशि ₹ 3.52 करोड़ के व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–9

प्रस्तावित एजेण्डाः– कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना

राज्य स्तरीय संचालन समिति की 9वीं बैठक दिनांक 18.11.2016 के एजेण्डा क्रमांक 4.2.1 में कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष 2016–17 के कार्यों हेतु राशि ₹ 11.04 करोड़ अनुमोदित किये गये थे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित परियोजना की राशि ₹ 120.30 करोड़ में से वर्ष 2016–17 में स्वीकृत राशि ₹ 11.04 करोड़ कम करके वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 हेतु राशि ₹ 109.26 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि इस योजना को Scale down करते हुए शेष राशि मनरेगा से प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा क्रमांक –10

प्रस्तावित एजेण्डाः– वन्यप्राणी संरक्षण वर्ष 2016–17 हेतु नवीन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 30.05.2017 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2017–18 के लिये मुकुन्दपुर जू हेतु राशि ₹ 15.00 करोड़ के कार्यों के लिये व्यवस्था कैम्पा मद के अंतर्गत की जाना है, इसके अंतर्गत प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः–वर्ष 2017–18 के लिये मुकुन्दपुर जू हेतु राशि ₹ 15.00 करोड के व्यय का अनुमोदन किया जाकर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस प्रोजेक्ट की प्रशासकीय स्वीकृति की मूल नस्ती म0प्र0 शासन, वन विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित की जावें।

एजेण्डा क्रमांक –11

प्रस्तावित एजेण्डाः– मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल – अनुभूति कार्यक्रम

योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 हेतु प्रदेश के 450 वन परिक्षेत्रों के कुल 1,00,000 (एक लाख) छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु राशि ₹ 6.21 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– वर्ष 2017–18 हेतु अनुभूति कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु राशि ₹ 6.21 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–12

प्रस्तावित एजेण्डाः– ऊर्जा वन की स्थापना

सुदूर वन क्षेत्रों में ग्रामीण जलाऊ की पूर्ति के उद्देश्य से गांव से लगी वन भूमि अथवा शासकीय भूमि पर 05 हेक्टेयर रकबे में 64 वनमंडलों में प्रत्येक परिक्षेत्र में 03 से 04 ऊर्जा वन स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक वन मंडल में औसतन 20 स्थलों पर ऊर्जा वन स्थापित होंगे। इस प्रकार प्रदेश में स्थापित होने वाले ऊर्जा वनों की संख्या 1250 होगी। 1250 ऊर्जा वन की 3 वर्षीय परियोजना के लिये कुल राशि ₹56.25 करोड़ एवं प्रथम वर्ष के लिये राशि ₹50.00 करोड़ समिति कें अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः–समिति द्वारा योजना की कुल राशि ₹56.25 करोड़ एवं उक्त में से प्रथम वर्ष 2017–18 हेतु राशिं ₹50.00 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–13

प्रस्तावित एजेण्डाः– राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर : वन उत्पादकता एवं वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव

संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, द्वारा वन उत्पादकता एवं वन संरक्षण के 7 परियोजना प्रस्ताव, जलवायु परिवर्तन का 1 प्रस्ताव तथा प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना विकास के 6 प्रस्ताव, कुल 14 प्रस्ताव ₹10.43 करोड़ के 3 वर्ष के लिये प्रस्तुत किये गये। इनमे से प्रथम वर्ष ₹5.10 करोड़, द्वितीय वर्ष ₹2.16 करोड़ एवं तृतीय वर्ष ₹3.17 राशि के व्यय के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः–समिति द्वारा उक्त परियोजनाओं की कुल लागत ₹10.43 करोड़ एवं उक्त में से वर्ष 2017–18 के लिये ₹5.10 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–14

प्रस्तावित एजेण्डाः– अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में उत्कृष्ट पौधा तैयारी

प्रदेश के 11 अनुसंधान विस्तार वृत्तों की रोपणियों में दो वर्ष के उत्कृष्ट पौधा तैयारी हेतु, कुल 81.67 लाख पौधा तैयारी करने के लिये 2 वर्ष की योजना कुल राशि ₹24.50 करोड़ एवं प्रथम वर्ष 2017–18 हेतु ₹8.167 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः–समिति द्वारा अनुसंधान विस्तार वृत्तों की रोपणियों में 2 वर्ष के उत्कृष्ट पौधा (81.67 लाख पौधा) तैयारी करने हेतु कुल राशि ₹24.50 करोड एवं उक्त में से प्रथम वर्ष 2017–18 के लिये राशि ₹8.167 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–15

प्रस्तावित एजेण्डाः– विस्तार वानिकी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण :

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में अधोसंरचना विकास हेतु "विस्तार वानिकी अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण" नामक एक परियोजना तैयार की गई है, जिसकी अवधि वर्ष 2017–18 से 2018–19 दो वर्ष की है। योजना का क्रियान्वयन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों द्वारा किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत राशि ₹21.08 करोड़ एवं प्रथम वर्ष 8.08 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः—समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त योजना का म0प्र0 शासन वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाये तथा म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा इस योजना का अनुमोदन किये जाने की स्थिति में उसे इस समिति का अनुमोदन माना जाये।

एजेण्डा क्रमांक—16

प्रस्तावित एजेण्डाः— वन एवं वन्यप्राणी की सुरक्षा हेतु रिवाल्वर एवं वाहन प्रतिस्थापना के प्रस्ताव

वर्ष 2017—18 में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु परिक्षेत्र अधिकारियों को आत्मरक्षार्थ .32 बोर रिवाल्वर 164 नग, मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु 12 कार वाहन,(Ciaz/Etios), वन मंडलाधिकारी हेतु 17 बोलेरो जीप वाहन, (Zlx), उप वन मण्डल स्तर के अधिकारियों हेतु 163 बोलेरो जीप वाहन, वन चौकी हेतु 61 बहुउद्देशीय वाहन, राज्य स्तरीय उड़न दस्ता हेतु बोलेरो वाहन (Zlx), 01 का क्रय किये जाने की राशि ₹ 19.25 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः— समिति द्वारा .32 रिवाल्वर, 164 नग की प्रस्तावित राशि रू.1.53 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया। वाहन के प्रस्ताव पर समिति ने यह निर्देश दिये कि उक्त प्रस्ताव का म.प्र. शासन, वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जावें। म0प्र0 शासन वित्त विभाग द्वारा इस योजना का अनुमोदन किये जाने की स्थिति में उसे इस समिति का अनुमोदन माना जावे।

एजेण्डा क्रमांक—17

प्रस्तावित एजेण्डाः— बांस की उन्नत किस्मों का विकास

तेजी से बढ़ने, अधिक उत्पादन देने वाली, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण बांस की उन्नत किस्मों के विकास की वर्ष 2017—18 से 2019—20 हेतु 03 वर्षीय परियोजना राशि ₹ 7.68 करोड़ एवं प्रथम वर्ष 2017—18 हेतु राशि ₹ 2.56 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः—समिति द्वारा परियोजना की कुल लागत राशि ₹ 7.68 करोड़ एवं वर्ष 2017—18 के लिये ₹ 2.56 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक—18

प्रस्तावित एजेण्डाः—नव चयनित सहायक वन संरक्षक/वनक्षेत्रपालों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक राशि

म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किये गये 23 सहायक वन संरक्षकों एवं 99 वन क्षेत्रपालों को वित्तीय वर्ष 2017—18 में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजे जाने के आधार पर उनके लिये यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय एवं छात्रवृत्तियां आदि के लिये रू.7.13 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः— समिति द्वारा वर्ष 2017—18 के लिये राशि ₹ 7.13 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–19

प्रस्तावित एजेण्डाः– वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन–ग्राम विस्थापन कार्य

प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी म.प्र. द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन– ग्राम विस्थापन कार्य के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि ₹ 64.90 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव में दक्षिण बालाघाट में 01 ग्राम विस्थापन के लिये राशि ₹ 2.00 करोड़, उत्तर बालाघाट में 01 ग्राम विस्थापन के लिये ₹ 14.70 करोड़, नौरादेही में 02 ग्रामों के विस्थापन के लिये ₹ 37.00 करोड़ एवं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व में 02 ग्राम विस्थापन के लिये राशि ₹ 11.20 करोड़, इस प्रकार कुल राशि ₹ 64.90 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन– ग्राम विस्थापन कार्य के लिये वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि ₹ 64.90 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–20

प्रस्तावित एजेण्डाः– वन भवन निर्माण हेतु

वन भवन निर्माण के लिये राज्य शासन द्वारा ₹ 86.00 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। वन भवन निर्माण हेतु इस राशि में से ₹ 25.00 करोड़ की राशि कैम्पा मद से उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राशि ₹ 10.00 करोड़ का प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः– समिति द्वारा वन भवन निर्माण के लिये वर्ष 2017–18 हेतु राशि ₹ 10.00 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–21

प्रस्तावित एजेण्डाः– वन विद्यालय शिवपुरी में ओवर हेड टेंक निर्माण

वन विद्यालय कैम्पस शिवपुरी में एक ओवर हेड टेंक का निर्माण हेतु राशि ₹ 19.50 लाख के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः– समिति द्वारा राशि ₹ 0.20 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–22

प्रस्तावित एजेण्डाः– वन कर्मचारी समग्र प्रशिक्षण प्रस्ताव–सिवनी वृत्त
(666 वन कर्मचारियों के लिये 22 प्रशिक्षण)

सिवनी वृत्त के अंतर्गत 666 वनरक्षक/वनपाल/उप वन क्षेत्रपाल हेतु "संपूर्ण वन प्रबंधन" की धारणा के अंतर्गत कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राशि ₹ 0.12 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः–समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के लिये राशि ₹ 0.12 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–23

प्रस्तावित एजेण्डाः— संयुक्त वन प्रबंध समितियों का सशक्तिकरण

मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध अंतर्गत वन समितियों को प्रभावी वन सुरक्षा हेतु संवाद, क्षमता विकास, कौशल उन्नयन, द्वन्द्व प्रबंधन प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार आदि गतिविधियों हेतु वर्ष 2017–18 से वर्ष 2018–19 की 2 वर्षीय योजना राशि ₹2.16 करोड, जिसमें प्रथम वर्ष में ₹1.86 करोड़ एवं द्वितीय वर्ष में राशि ₹0.30 करोड़ के प्रस्ताव समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः— समिति द्वारा कुल राशि ₹2.16 करोड़ एवं उक्त राशि में से वर्ष 2017–18 के लिये योजनानुसार ₹1.86 करोड़ के व्यय का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–24

प्रस्तावित एजेण्डाः— कृषि वानिकी से कृषक समृद्वि योजना के अंतर्गत पौधा तैयारी हेतु वर्ष 2016–17 की शेष राशि के विचलन के संबंध में अनुमति विषयक

दिनांक 02 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश राज्य में वृहद् वृक्षारोपण किया गया था, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी के प्रस्ताव अनुसार अनुसंधान विस्तार वृत्त बैतूल एवं इन्दौर हेतु स्वीकृत राशि ₹16.14 लाख में से क्षेत्रीय वन मण्डल होशंगाबाद एवं देवास को क्रमशः राशि ₹14.46 लाख एवं 1.68 लाख, इस प्रकार कुल राशि ₹16.14 लाख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. के अनुमोदन उपरांत विमुक्त की गई।

निर्णयः–समिति द्वारा उक्तानुसार कुल राशि ₹16.14 लाख के व्यय के विचलन का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक–25

प्रस्तावित एजेण्डाः— कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 07.11.2015 में खिवनी अभ्यारण्य के खिवनी ग्राम के विस्थापन हेतु अनुमोदित राशि ₹13.00 करोड़ के विचलन की अनुमति बाबत

राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 07.11.2015 में खिवनी अभ्यारण्य के खिवनी ग्राम के विस्थापन हेतु अनुमोदित राशि ₹13.00 करोड़ को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के ग्राम माना, मालनी एवं साकई ग्राम के विस्थापन हेतु उपयोग किये जाने की सहमति म.प्र. शासन वन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/डी–1758/1447/2017/10–2 दिनांक 19 जुलाई 2017 द्वारा दी गई। उक्त विचलन की औपचारिक अनुमति के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

निर्णयः— समिति द्वारा खिवनी अभ्यारण्य के खिवनी ग्राम के विस्थापन हेतु अनुमोदित राशि ₹13.00 करोड़ को सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के ग्राम माना, मालनी एवं साकई ग्राम के विस्थापन हेतु उपयोग किये जाने हेतु विचलन का अनुमोदन किया गया।

परिशिष्ट–1

म्माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे आयोजित स्टेट कैम्पा की राज्य स्तरीय संचालन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 10 अक्टूबर 2017 में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की सूची

अ नु.क.	नाम	पदनाम
1	श्री राधेश्याम जुलानिया	अपर मुख्य सचिव,पंचायत एवं ग्रांमीण विकास
2	श्री दीपक खाण्डेकर	अपर मुंख्य सचिव, वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र.
3	श्री प्रमोद अग्रवाल	प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
4	श्री पंकज अग्रवाल	प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग
5	डॉ. अनिमेष शुक्ला	प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.
6	श्री जितेन्द्र अग्रवाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
7	श्री मनोज सपरा	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
8	श्री सुखवीर सिंह	सचिव, वित्त विभाग
9	श्री केप्टन अनिल खरे	सचिव,म.प्र.शासन वन विभाग
10	श्री भानु प्रकाश गुप्ता	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) सदस्य सचिव
11	श्री एस.के.भंडारी	मुख्य वन संरक्षक केन्द्रीय एवं भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
12	श्री सुनील अग्रवाल	अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू–प्रबंध)
13	श्रीमती संगीता सक्सेना	प्रतिनिधि अशासकीय संगठन, डब्ल्यू डब्ल्यु एफ म0प्र0 भोपाल
14	श्रीमती अर्चना शर्मा	अशासकीय संगठन, अरण्या

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 03–39 / 2014 / 10–2 भोपाल, दिनांक 07 / 02 / 2018

प्रति,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(वन बल प्रमुख), भोपाल।

विषय :– राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक दिनांक 10.10.2017 के एजेण्डा क्रमांक 9 "कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि योजना में लिये गये निर्णय के संबंध में"।

संदर्भ :– आपकी टीप क्रमांक 07 दिनां 06.01.2018

––00––

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित टीप से प्रेषित संशोधित कृषि वानिकी से कृषॅक समृद्धि योजना का अनुमोदन किया जाता है एवं द्वितीय वर्ष 2017–18 हेतु रूपये 3262.36 लाख की स्वीकृति दी जाती है।

(संजय मोहरीर)
अपर सचिव
म.प्र.शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 03–39 / 2014 / 10–2 भोपाल, दिनांक 07 / 02 / 2018

प्रतिलिपिः–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

PCCF (कैम्पा) R&E/LV.

अपर सचिव
म.प्र.शासन वन विभाग

P.C.
8/7/2/18 (L)
APCCF (R&E/L)

894
08-2-18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(अनुसंधान एवं विस्तार एवं वानिकी)
म.प्र. भोपाल

E:\Forest 2018\Letter 2018.docx

194
9/2/18

कृषि वानिकी से कृषक समृद्धि परियोजना अंतर्गत वर्षवार आवश्यक राशि का विवरण

(राशि रू.लाख में)

अनु क्र.	कार्य का विवरण	वर्षवार आवश्यक राशि		
		द्वितीय वर्ष 2017–18	तृतीय वर्ष 2018–19	कुल आवश्यक राशि
1	कृषि वानिकी हेतु पौधे तैयार करना	1222.00	442.00	1664.00
2	कृषकों एवं वनदूतों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान	1976.00	6760.00	8736.00
3	घर पहुँच पौधा प्रदाय हेतु परिवहन व्यय	0.00	250.00	250.00
4	अनुसंधान एवं विस्तार कक्ष (मुख्यालय) का सुदृढ़ीकरण	16.80	18.60	35.40
5	प्रशिक्षण एवं प्रचार	33.00	22.00	55.00
6	विविध व्यय	14.56	14.56	29.12
	योग	**3262.36**	**7507.16**	**10769.52**

D:/campa apccf

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / /3690/2017/10-2 भोपाल, दिनांक /01/2018

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(मध्यप्रदेश), भोपाल।

विषय :– अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों में अधोसंरचना का सुदृढीकरण।
संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक 2009 दिनांक 13.11.2017

---00---

विषयांकित संदर्भित पत्र के संबंध में विभागीय प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग का अभिमत निम्नानुसार है :–

- क्रमांक 3 (मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का सुदृढीकरण) को छोडकर शेष पर सहमति दी जाती है।
- क्रमांक 5 (प्रदेश के 51 जिलों में वन विस्तार एवं प्रचार हेतु वाहन) हेतु क्रय के स्थान पर 51 किराये के वाहन लेने की अनुमति दी जाती है।
- क्रमांक 1 (आधुनिक विधि से पौधा उत्पादन) एवं
  क्रमांक 2 (उच्च तकनीकी बीज भंडारण केन्द्र) पर सहमति दी जाती है।
- क्रमांक 4 (वन विस्तार अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण) से संबंधित है। अतः Extension कार्य को मजबूती देने के लिए सहमति दी जाती है। यह कार्य Campa अंतर्गत ही किया जावे।

(संजय मोहरीर)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक / 162 / 3690 / 2017 / 10–2 भोपाल, दिनांक 19 / 01 / 2018

प्रतिलिपिः–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

19.1.18
अपर सचिव
म0प्र0 शासन वन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
म.प्र. भोपाल

E:\Forest 2018\Letter 2018.docx

6– गतिविधिवार व्यय का गोषवारा :–

क्र.	गतिविधि	प्रस्तावित व्यय (रू. लाख में)			गतिविधि अनुसार संभावित व्यय %
		प्रथम वर्ष 2017–18	द्वितीय वर्ष 2018–19	योग	
1	आधुनिक विधि से पौधा उत्पादन	200.00	237.00	437.00	20,73
2	उच्च तकनीकी बीज भण्डारण केन्द्र	20.00	20.00	40.00	1.90
3	मुख्य वन संरक्षक कार्यालय का सुदढ़ीकरण	55.00	100.66	155.66	7.38
4	वन विस्तार अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण एवं सुदृढीकरण	150.00	709.30	859.30	40.75
5	प्रदेश के 51 जिलो में वन विस्तार एवं प्रचार हेतु वाहन	382.50	234.00	616.50	29.24
	महायोग –	**807.50**	**1301.56**	**2108.46**	**100.00**